भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1222

जिसका उत्तर 16 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है।

25 अग्रहायण, 1944 (शक)

डिजिटल मीडिया का विनियमन

1222. श्री कार्तिकेय शर्मा :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिजिटल मीडिया को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डिजिटल मीडिया को विनियमित करने के लिए कानून बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय हितों के खिलाफ सोशल मीडिया के उपयोग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से (घ): इंटरनेट को खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए और सोशल मीडिया माध्यस्थों सहित माध्यस्थों को विनियमित करने के लिए, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 बनाया है। ये नियम बिचौलियों पर समुचित सावधानी का पालन करने के लिए विशिष्ट दायित्व डालते हैं और यह प्रावधान करते हैं कि यदि वे इस तरह के अपेक्षित सावधानी का अनुपालन करने में विफल रहते हैं, तो वे अब तृतीय-पक्ष की जानकारी या डेटा या उनके द्वारा होस्ट किये गये संचार लिंक के लिए कानून के तहत अपने दायित्व से मुक्त नहीं होंगे। इस तरह की सावधानी में निम्न शामिल हैं:

(i) उक्त नियमों को अपने उपयोगकर्ताओं को सूचित करना कि मध्यस्थ डिजिटल मीडिया द्वारा प्रकाशित जानकारी सहित जानकारियाँ या भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालने वाली या जांच को रोकने वाली या किसी कानून का उल्लंघन करने वाली अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा की गई ऐसी किसी जानकारी को उपयोगकर्ताओं द्वारा मंच पर होस्ट, प्रदर्शन, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, संचारित, स्टोर, अपडेट या साझा नहीं करने के लिए उचित प्रयास किया जाए;

(ii) अदालत द्वारा आदेश के रूप में वास्तविक जानकारी प्राप्त होने या आईटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने पर किसी भी जानकारी को होस्ट, स्टोर या प्रकाशित नहीं करना, जिसमें मध्यस्थ मंच पर डिजिटल मीडिया द्वारा प्रकाशित जानकारी या अन्य उपयोगकर्ताओं

द्वारा साझा की गई ऐसी जानकारी शामिल है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक आदेश, अदालत की अवमानना आदि के संबंध में कानून द्वारा निषिद्ध है;

(iii) कानूनी रूप से अधिकृत सरकारी एजेंसी से आदेश प्राप्त होने पर, कानून के तहत रोकथाम, पता लगाने, जांच या अभियोजन या साइबर सुरक्षा घटनाओं के लिए जानकारी या सहायता प्रदान करना ;

(iv) एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना, और नियमों के उल्लंघन की शिकायतों को रिपोर्ट किए जाने के 72 घंटों के भीतर हल करना;

(v) यदि कोई माध्यस्थ एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया माध्यस्थ है (*अर्थात,* एक माध्यस्थ जिसके भारत में 50 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं), कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ 24x7 समन्वय के लिए एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, एक नोडल संपर्क व्य क्ति और मासिक अनुपालन रिपोर्ट आदि प्रकाशित करने वाले एक स्थानीक शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के मामले में अतिरिक्त अपेक्षित सावधानी बरतना ।

डिजिटल मीडिया को विनियमित करने के लिए एक अलग कानून बनाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन नहीं है।
